भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4877**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023/10 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उच्च दक्षता वाले तरल उर्वरकों की मांग

4877. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री देवजी पटेल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गुणवत्तापूर्ण कृषि और कृषि प्रक्रिया के लिए उच्च दक्षता वाले तरल उर्वरक की मांग में भारी वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा देश में उच्च दक्षता वाले तरल उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (ग): एनबीएस नीति के तहत सरकार प्रत्येक पोषकतत्व एन,पी,के और एस पर रुपये/कि.ग्रा. में राजसहायता की एक नियत दर अधिसूचित करती है जिसे विभिन्न राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों, जिनके वर्तमान में 25 ग्रेड हैं और इसमें तरल उर्वरक शामिल नहीं हैं, पर प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित किया जाता है। तरल उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में, भारत सरकार द्वारा 2020 और 2022 के बीच 12 तरल उर्वरकों (ग्रेड-वार) को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में शामिल किया गया है और यह क्षेत्र बाजार आधारित है।

****